सत्यमेव जयते

# न्यायालय
# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
## थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 2021/0028 दर्ज तिथिः–23.02.2021

1. छल्लाराम पुत्र लादूराम उम्र बालिग जाति कुम्हार निवासी बामनवास चौगान तहसील थानागाजी–अलवर।

................प्रार्थी

**बनाम**

1. कमलेश पुत्र भौरेलाल पौत्र महादेव उम्र बालिग जाति कुम्हार
2. गिरधारी पुत्र भौरेलाल पौत्र महादेव उम्र बालिग जाति कुम्हार
3. बुद्धालाल पुत्र भौरेलाल पौत्र महादेव उम्र बालिग जाति कुम्हार
4. चौथी देवी पत्नी भौरेलाल उम्र बालिग जाति कुम्हार
5. मीरा पुत्री भौरेलाल पौत्री महादेव उम्र बालिग जाति कुम्हार
6. धौली पुत्री भौरलाल पौत्री महादेव उम्र बालिग जाति कुम्हार
7. काजल पुत्री भौरेलाल पौत्री महादेव उम्र बालिग जाति कुम्हार
8. मूलचंद पुत्र सुण्डा उम्र बालिग जाति कुम्हार
9. बाबूलाल पुत्र सुण्डा उम्र बालिग जाति कुम्हार
10. रामलाल पुत्र सुण्डा उम्र बालिग जाति कुम्हार
11. कैलाश पुत्र सुण्डा उम्र बालिग जाति कुम्हार
12. श्योकूरी पत्नि सुण्डा उम्र बालिग जाति कुम्हार
13. कमला पुत्री सुण्डा उम्र बालिग जाति कुम्हार
14. गोवर्धन पुत्र सुवा उम्र बालिग जाति कुम्हार
15. गंगा देवी पत्नि सुवा उम्र बालिग जाति कुम्हार
16. बुधी पुत्री सुवा उम्र बालिग जाति कुम्हार
17. लाली पुत्री सुवा उम्र बालिग जाति कुम्हार
18. मनोहरी पुत्री सुवा उम्र बालिग जाति कुम्हार

समस्त निवासी बामनवास चौगान तह0 थानागाजी जिला अलवर

.................अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:03 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री रामक[illegible] चोपड़ा।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– श्री गोपाल शर्मा।

छल्लाराम बनाम कमलेश

2021/0028

निर्णय दिनांक 09.05.2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2076–79 वाके ग्राम होदायली हाल आराजी खाता संख्या 228 हाल खसरा नम्बर 316/0.77 है0 में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 135 हाल खसरा नम्बर 146/0.62 है0, में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी के साबिक खसरा संख्या 127/2 बीघा 9 बिस्वा, 41/289/2 बिस्वा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 2060 है। प्रार्थी के पिता लादूराम की विरासत के इन्तकाल के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने खाता संख्या 228 में घस्ली पुत्र लादा तथा खाता संख्या 135 में धल्सी पुत्र लादा कर दिया जबकि विरासत का इन्तकाल संख्या 203 तथा जमाबन्दी संवत् 2039 वाके ग्राम होदायली में प्रार्थी का नाम छल्लाराम पुत्र लादू राम दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार बाद के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण के नाम में भिन्नता के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम छल्लाराम पुत्र लादू दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः उनकी ओर से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण संख्या 08 लगायत 18 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अप्रार्थी संख्या 08 लगायत 18 की कोई उज्र ऐतराज नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता लादूराम की विरासत के इन्तकाल के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने खाता संख्या 228 में घस्ली पुत्र लादा तथा खाता संख्या 135 में धल्सी पुत्र लादा कर दिया जबकि विरासत का इन्तकाल संख्या 203 तथा जमाबन्दी संवत् 2039 वाके ग्राम होदायली में प्रार्थी का नाम छल्लाराम पुत्र लादू राम दर्ज रिकॉर्ड है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:03 IST
Reason: SelfAttested

छल्लाराम पुत्र लादूराम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण को भी इस सम्बन्ध में कोई उज्र ऐतराज नहीं है।

4. प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075–78 वाके ग्राम होदायली के नवीन खाता संख्या 228 का विवरण निम्न प्रकार है:–

| खातेदार | हाल आराजी खसरा संख्या | रकबा |
|---|---|---|
| घस्ली पुत्र लादा हिस्सा–1/4 जाति कुम्हार | 316 | 0.77 है0 |
| सूण्डा पुत्र भूरा हिस्सा–1/4 जाति कुम्हार | | |
| सूवा पुत्र सगरा हिस्सा–1/2 जाति कुम्हार | | |

5. इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2075–78 वाके ग्राम होदायली के नवीन खाता संख्या 228 का विवरण निम्न प्रकार है:–

| खातेदार | हाल आराजी खसरा संख्या | रकबा |
|---|---|---|
| धल्सी पुत्र लादा हिस्सा–1/2 जाति कुम्हार | 146 | 0.62 है0 |
| महादेवा पुत्र लादा हिस्सा–1/4 जाति कुम्हार | | |

6. प्रकरण में मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2060 वाके ग्राम होदायली का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार है:–

| बन्दोबस्त संवत् 2060 | | | |
|---|---|---|---|
| खसरा नम्बर हाल | रकबा | साबिक | रकबा |
| 316 | 0.77 है0 | 41/289 | 03 बीघा 05 बिस्वा |
| 146 | 0.62 है0 | [illegible] | 02 बीघा 09 बिस्वा |

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:23 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् [illegible] वाके ग्राम होदायली के खाता संख्या 137 का विवरण निम्न प्रकार है:–

| खाता | खातेदार | खसरा संख्या | रकबा |
|---|---|---|---|
| 96 | महादेव **धल्सी** पिसरान लादू समान भाग हिस्सा 1/4 कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार | 41/289 | 03 बीघा 05 बिस्वा |
| 94 | महादेव **घस्ली** पिसरान लादू समान भाग हिस्सा 1/4 कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार | 127 | 02 बीघा 09 बिस्वा |

8. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः–

| दस्तावेज का विवरण | नाम |
|---|---|
| पहचान–पत्र | छल्ला पुत्र लादूराम |
| आधार कार्ड | छल्लाराम प्रजापत पुत्र लादूराम प्रजापत |
| राशन कार्ड | छल्लाराम पुत्र लादूराम |

9. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

*मौके पर उपस्थित लोगों व छल्लराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जॉच करने पर पाया कि धल्सी व घल्सी का सही नाम छल्लाराम का सही नाम छल्लाराम पुत्र लादूराम है।*

10. उक्त विश्लेषण के अनुसार साबिक जमाबन्दी संवत 2039, साबिक जमाबन्दी संवत 2044 तथा नामान्तकरण संख्या 203 दिनांक 02.06.1981 वाके ग्राम होदायली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता लादू की विरासत के नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 203 दिनांक 02.06.1981 में प्रार्थी का नाम **छल्ली पुत्र लादू** अंकित किया गया। बाद के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम *धल्सी व घल्सी* एक ही व्यक्ति के दो अलग नामान्तकरणों में पृथक नाम दर्ज करना उचित नहीं है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी का असल नाम छल्लाराम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम छल्लाराम पुत्र लादूराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यद्यित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम सं[illegible] [illegible]ज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपो[illegible] से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:03 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज ***धल्सी व घल्सी* पुत्र लादू** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **छल्लाराम पुत्र लादूराम** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.05.2023 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:03 IST
Reason: SelfAttested